



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1937 (श०)

(सं० पटना 104) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

2 फरवरी 2016

एस०ओ० 26 दिनांक 2 फरवरी 2016—बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) की धारा—20 की उप—धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

संशोधन

- बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के नियम 3 में संशोधन—बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली के नियम 3 के उप—नियम (2) के खंड—(ख) में प्रयुक्त शब्द “सामान्यतः” को विलोपित किया जायेगा।
- यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०.बिक्री—कर / संशोधन—01 / 2016—444)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

2 फरवरी 2016

एस०ओ० 27 एस०ओ० 26 दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०.बिक्री—कर / संशोधन—01 / 2016—445)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 2nd February 2016

S.O. 26 dated the 2nd February 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Bihar Taxation on Luxuries Act, 1988 (Bihat Act 5 of 1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988-

Amendments

1. Amendment in Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988.—(1)

The word “ordinarily” used in clause (b) of sub-rule (2) of Rule 3 of the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Rules, 1988 shall be deleted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance

[(File No. Bikrikar /Sansodhan-01/2016-444)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 104-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>